संख्या-29/2015/1050/26-3-2014-100(115/99

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 13 अप्रैल,2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष की योजनाओं हेतु किये गये आय-व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-04/140/ज.जा.वि/लेखा/15-16, दिनांक-07-4-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान सं0-81 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जनजातियो का कल्याण) के आयोजनेतर पक्ष के लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण'' के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार मतदेय पक्ष में रूपया-19,09,39000/-(रूपये उन्नीस करोड़ नौ लाख उनतालिस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3) उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4) धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- उपर्युक्त स्वीकृतियों से संबंधित धनराशियां व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0-30.03.2015 में निहित निर्देशों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-29/2015/1050 (1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ
3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन,लखनऊ
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-29/2015/1050/26-3-2014-100(115)/99-टी0सी0, दिनांक- 13 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

अनुदान संख्या-81 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2015-16	स्वीकृत की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा		
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य		
पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनेतर-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान-		
01-वेतन	5737	5737
03-मंहगाई भत्ता	6884	6884
04-यात्रा व्यय	60	60
06-अन्य भत्ते	668	668
07-मानदेय	10	10
08-कार्यालय व्यय	120	120
09-विद्युत देय	40	40
10-जलकर/जल प्रभार	10	10
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	110	110
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	135	135
13-टेलीफोन पर व्यय	100	100
13-मोटर गाड़ियों का क्रय	0	0
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600	600
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50	50
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वमित्व	0	0
18-प्रकाशन	100	100
42-अन्य ब्यय (मतदेय)	0	0
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30	30
45-अवकाश यात्रा व्यय	25	25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	70	70
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी	150	150

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्टेशनरी का क्रय		
49-चिकित्सा व्यय	100	100
51-वर्दी व्यय	10	10
योग	**15029**	**15029**
06-जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान-		
01-वेतन	796	796
03-मंहगाई भत्ता	955	955
04-यात्रा व्यय	15	15
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-	15	15
06-अन्य भत्ते	80	80
08-कार्यालय व्यय	35	35
09-विद्युत देय	40	40
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	25	25
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20	20
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	17	17
18-प्रकाशन	70	70
45-अवकाश यात्रा व्यय	25	25
49-चिकित्सा व्यय	30	30
51-वर्दी व्यय	5	5
योग	**2128**	**2128**
08-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास-		
01-वेतन	566	566
02-मजदूरी	150	150
03-मंहगाई भत्ता	679	679
04-यात्रा व्यय	6	6
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-	7	7
06-अन्य भत्ते	67	67
08-कार्यालय व्यय	20	20
09-विद्युत देय	40	40
10-जलकर/जल प्रभार	5	5
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20	20
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35	35
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण	50	50

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

और संयंत्र		
29-अनुरक्षण	70	70
41-भोजन व्यय	100	100
42-अन्य व्यय	5	5
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	65	65
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5	5
45-अवकाश यात्रा व्यय	10	10
49-चिकित्सा व्यय	20	20
51-वर्दी व्यय	5	5
योग	**1925**	**1925**
09-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय		
01-वेतन	14428	14428
02-मजदूरी	400	400
03-मंहगाई भत्ता	17314	17314
04-यात्रा व्यय	160	160
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय-	35	35
06-अन्य भत्ते	1442	1442
08-कार्यालय व्यय	140	140
09-विद्युत देय	350	350
10-जलकर/जल प्रभार	50	50
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	140	140
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	110	110
13-टेलीफोन पर व्यय	125	125
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	300
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	300	300
25-लघु निर्माण	0	0
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	0	0
29-अनुरक्षण	350	350
39-औषधि तथा रसायन	150	150
40-औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	150	150
41-भोजन व्यय	18000	18000
42-अन्य व्यय	0	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2000	2000
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	30	30
45-अवकाश यात्रा व्यय	30	30
49-चिकित्सा व्यय	130	130
51-वर्दी व्यय	15	15
योग	**56149**	**56149**
11- अनुसूचित जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-		
01-कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता- 21- छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-	10000	10000
02- कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता- (जिला योजना) 21- छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन-	10000	10000
03-कक्षा 1 से 5 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-		
(जिला योजना) 21- छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	10000	10000
योग	**30000**	**30000**
13-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21- छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	50000	50000
14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विकास 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	2640	1320
15-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	105	52
16-अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को		

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान-		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	250	0
योग	**52995**	**51372**
17-जनजाति उपयोजना-		
1701-एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	300	165
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	21517	21517
1702-जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम-थारू विकास परियोजना गोण्डा 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	300 8755	150 8755
1703-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता- 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) 31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	150 1473	75 1473
1704- बिखरी आबादी वाली जनजाति का विकास		
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) 31- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	135 2154	67 2154
योग	**34814**	**34356**
कुल योग	**193020**	**190939**

(रूपये उन्नीस करोड़ नौ लाख उनतालिस हजार मात्र)

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in